

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2088

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के आयात पर निर्भरता में कमी

2088. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

श्री अनन्त नायक:
श्री प्रदीप पुरोहित:
श्रीमती संजना जाटव:
श्रीमती मालविका देवी:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री विष्णु दयाल राम:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री दिलीप शङ्कीया:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री नलिन सोरेन:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री देवसिंह चौहान:
डा. निशिकान्त दुबे:
श्री जुगल किशोर:
श्री आशीष दुबे:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री तापिर गाव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विनिर्माण इकाइयों के पुनरुद्धार, विस्तार और आधुनिकीकरण सहित घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर उर्वरकों और उर्वरक के कच्चे माल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए वर्ष 2014 से विशेष रूप से ओडिशा के क्यौंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राज्य/जिला-वार और वर्ष-वार क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या सरकार ने उर्वरकों और उनके कच्चे माल की आपूर्ति के लिए संसाधन-समृद्ध देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं और यदि हां, तो ऐसे समझौतों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में निर्बाध उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने में उनका देश-वार योगदान कितना है;
- (ग) वैश्विक व्यवधान और मूल्य अस्थिरता के विरुद्ध आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक आयात के स्रोतों में विविधता लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश की उर्वरक आयात निर्भरता को कम करने पर उक्त पहलों का कितना प्रभाव पड़ा है और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण और आकांक्षी जिलों में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण पर वर्ष-वार कितना प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामतः तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), असम के मौजूदा परिसर के भीतर जेवीसी के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए तक अतिरिक्त उत्पादन बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को 15.07.2026 को मंजूरी दी।

हाल के वैश्विक व्यवधानों को देखते हुए, विभाग ने विदेशों में भारतीय दूतावासों के सहयोग के माध्यम से विभिन्न देशों से खरीद के अवसरों की खोज करके आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए उपाय किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक बाजार व्यवधानों से उत्पन्न अनियमितताओं को दूर करना और देश में उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के शिपमेंट में आए व्यवधान के कारण, सरकार ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आवंटन और वितरण को विनियमित करने और इसकी समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 को दिनांक 09.03.2026 को अधिसूचित किया। इस आदेश में पीएनजी (घरेलू) (पिछले छह महीनों के दौरान औसत खपत का 100%), सीएनजी (परिवहन), एलपीजी उत्पादन और उर्वरक सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस के आवंटन में प्राथमिकता दी गई, जिससे आवश्यक सेवाओं, ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण की निरंतरता सुनिश्चित हुई। उक्त उपाय प्रकृति में अस्थायी थे और आपूर्ति की स्थिति में सुधार को देखते हुए, दिनांक 04.07.2026 की अधिसूचना के माध्यम से वापस ले लिए गए।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस के शुद्ध उत्पादन, आयात, कुल खपत और आयात निर्भरता का विवरण निम्नानुसार है:

एमएमएससीएम में प्राकृतिक गैस की खपत (आंतरिक खपत सहित)					
पैरामीटर/वित्तीय वर्ष	2021-22	2022- 23	2023-24	2024-25	2025-26 (पी)
शुद्ध घरेलू उत्पादन (ए)	33,131	33,664	35,717	35,594	34,326
एलएनजी आयात (बी)	31,028	26,304	31,795	35,720	34,427
कुल खपत (सी = ए + बी)	64,159	59,969	67,512	71,314	68,753
आयात निर्भरता % (डी = सी/बी)	48.4	43.9	47.1	50.1	50.1

[उत्पादन डेटा के स्रोत: ओएनजीसी, ओआईएल, डीजीएच। खपत के लिए शुद्ध उत्पादन गैस फ्लेयर्ड और उत्पादन कंपनियों द्वारा सकल उत्पादन से नुकसान को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

आयात डेटा के स्रोत: डीजीआईसीएस । रूपांतरण कारक: 1 एमएमटी = 1325 एमएमएससीएम

पी: अनंतिम। राउंडिंग ऑफ के कारण कुल योग का मिलान नहीं हो सकता है

पीएण्डके उर्वरकों के लिए सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएण्डके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) पुनर्जीवन, विस्तार और उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर 18.01.2024 के दिशानिर्देशों के माध्यम से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है; अनुरोधों के आधार पर, नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को एनबीएस स्कीम के तहत मान्यता दी गई/रिकॉर्ड में लिया गया है; एनबीएस स्कीम के तहत कवर किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या 2021 में 22 ग्रेड से बढ़कर 28 ग्रेड हो गई है; मिट्टी को फॉस्फेटिक या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से एसएसपी पर माल भाड़ा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस स्कीम के तहत पोषक तत्वों की दरें अर्द्ध-वार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

एनबीएस स्कीम ओडिशा के क्यॉंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित अखिल भारतीय आधार पर समान रूप से लागू की जाती है और कोई क्षेत्रीय विभेदन नहीं किया जाता है।

उर्वरक कच्चे माल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम), एमएनआरई की हरित हाइड्रोजन पारगमन के लिए कार्यनीतिक हस्तक्षेप (साइट) स्कीम के मोड-2ए के तहत, पी एंड के उर्वरकों के उत्पादन के लिए उर्वरक कंपनियों द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष लगभग 7 एलएमटी ग्रीन अमोनिया की खरीद का प्रावधान किया है। इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए, ग्रीन अमोनिया उत्पादकों और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के बीच ग्रीन अमोनिया खरीद समझौते (जीएपीए), और उर्वरक कंपनियों और एसईसीआई के बीच ग्रीन अमोनिया बिक्री समझौते (जीएसए) पर 30.03.2026 को हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत सरकार भारतीय उर्वरक कंपनियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था करने में मदद करती है।

इसके अनुरूप, भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष भारत को 31 एलएमटी और 26.50 एलएमटी डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की वार्षिक आपूर्ति के लिए सऊदी अरब और रूसी कंपनियों के साथ करारों को अंतिम रूप दिया है। म्यूरैट ऑफ पोटेश (एमओपी) के लिए, भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष रूस, जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान से 4.80 एलएमटी की आपूर्ति के लिए करारों को अंतिम रूप दे दिया है।

रॉक फॉस्फेट के संबंध में, इस वर्ष जॉर्डन, मोरक्को और टोगो की कंपनियों के साथ 31.40 एलएमटी की आपूर्ति के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। फॉस्फोरिक एसिड के लिए ट्यूनीशिया और सेनेगल से वर्तमान वर्ष के दौरान 9.10 एलएमटी फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति के लिए करार को अंतिम रूप दिया गया है। अमोनिया के लिए, एक अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए, भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष 8.50 एलएमटी की आपूर्ति के लिए सऊदी अरब और ओमान आपूर्तिकर्ताओं के साथ करार किए हैं।

सामूहिक रूप से, इन करारों ने देश में उर्वरकों और कच्चे माल की पर्याप्त और स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

- (i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
- (ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।
- (iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- (iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांग-पत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।
- (v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।
- (vi) राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं.2088 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.00	17.08	14.83	4.45	3.79	3.60	3.00	1.97	1.78	17.00	15.93	13.99
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.00	3.60	0.89	0.68	0.52	0.85	0.62	0.55	0.17	0.25	0.19
5	बिहार	22.00	22.79	21.53	7.50	5.82	5.52	2.50	1.52	1.38	4.00	4.44	3.96
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	7.00	9.66	8.00	3.80	3.69	3.53	1.01	1.09	0.83	1.30	1.46	1.31
8	दादरा और नगर	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.30	0.26	0.04	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	24.93	21.90	5.00	5.43	5.00	1.20	1.22	1.09	5.95	7.35	6.69
13	हरियाणा	20.50	23.26	20.75	6.00	5.33	4.96	0.56	0.67	0.57	0.70	0.63	0.54
14	हिमाचल प्रदेश	0.79	0.90	0.74	0.02	0.01	0.00	0.08	0.10	0.04	0.38	0.34	0.19
15	जम्मू और कश्मीर	1.43	2.11	1.67	0.80	0.57	0.44	0.40	0.25	0.19	0.03	0.02	0.00
16	झारखंड	2.60	3.01	2.57	1.00	0.97	0.91	0.20	0.05	0.01	0.46	0.49	0.45
17	कर्नाटक	16.50	21.04	17.84	6.54	6.37	5.73	3.17	2.74	2.54	17.20	20.82	18.72
18	केरल	1.22	1.29	1.15	0.20	0.14	0.14	1.10	0.86	0.77	1.45	1.43	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.00	33.01	29.18	19.50	12.54	12.03	1.80	1.31	1.18	4.35	5.31	4.96
21	महाराष्ट्र	25.50	28.29	23.68	8.50	6.42	5.87	4.50	3.63	3.26	21.50	28.97	25.75
22	मणिपुर	0.27	0.24	0.14	0.14	0.03	0.01	0.14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.03	0.01	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.64	6.36	5.53	2.68	2.51	2.37	1.43	1.17	1.07	2.80	2.77	2.49
27	पुदुचेरी	0.12	0.15	0.15	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.07	0.08	0.07
28	पंजाब	28.00	34.95	31.34	8.00	6.58	6.27	1.00	0.87	0.64	0.76	1.47	1.21
29	राजस्थान	21.00	25.43	22.59	7.70	6.59	6.10	0.30	0.31	0.24	0.63	1.23	1.20
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.10	10.85	10.40	2.90	2.56	2.39	3.00	2.80	2.53	6.92	9.25	8.17
32	तेलंगाना	19.00	19.19	17.12	4.20	3.14	2.98	3.10	1.50	1.39	18.60	15.07	13.24
33	त्रिपुरा	0.27	0.32	0.18	0.05	0.04	0.01	0.09	0.05	0.01	0.02	0.03	0.01
34	उत्तराखंड	2.16	2.30	2.09	0.32	0.43	0.31	0.09	0.09	0.04	0.30	0.24	0.22
35	उत्तर प्रदेश	78.00	82.30	71.12	29.50	23.75	21.20	3.80	2.12	1.91	8.00	6.78	6.36
36	पश्चिम बंगाल	14.23	15.84	13.30	4.05	3.03	2.70	3.70	2.09	1.89	10.12	11.30	10.34
	अखिल भारत	356.53	389.68	341.73	123.90	100.49	92.64	37.10	27.06	23.93	122.74	135.74	121.37

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2088 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	16.65	18.39	15.87	4.20	5.43	4.64	3.09	1.42	1.18	15.97	16.27	13.73
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.07	3.56	0.85	0.83	0.63	0.75	0.58	0.47	0.26	0.22	0.19
5	बिहार	22.80	24.68	21.96	6.82	7.15	5.66	2.16	1.55	1.26	3.72	5.35	4.25
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.74	10.57	8.38	3.70	4.68	3.14	1.01	0.77	0.56	1.45	1.63	1.06
8	दादरा और नगर	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.32	0.28	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	27.30	24.73	5.50	7.48	6.10	1.15	0.91	0.81	5.85	7.08	5.23
13	हरियाणा	21.50	23.68	20.46	5.70	6.48	5.59	0.60	0.43	0.35	0.70	0.30	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.76	0.85	0.74	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.04	0.39	0.41	0.35
15	जम्मू और कश्मीर	1.68	1.93	1.60	0.59	0.60	0.48	0.40	0.23	0.17	0.04	0.00	0.00
16	झारखंड	2.60	3.04	2.56	1.00	0.89	0.77	0.20	0.05	0.04	0.46	0.52	0.45
17	कर्नाटक	17.20	22.22	18.21	5.90	8.44	6.21	3.00	1.68	1.41	17.16	21.53	16.67
18	केरल	1.23	1.32	1.12	0.20	0.22	0.19	1.07	0.86	0.78	1.42	1.32	1.02
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.00	36.94	32.39	18.50	17.61	13.85	1.57	0.76	0.62	4.85	6.25	4.79
21	महाराष्ट्र	25.29	30.39	24.66	8.20	9.34	7.18	4.30	1.68	1.38	23.50	28.89	20.46
22	मणिपुर	0.22	0.35	0.31	0.12	0.04	0.04	0.12	0.05	0.04	0.00	0.03	0.03
23	मेघालय	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.11	0.10	0.06	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.84	7.08	5.60	2.69	2.55	1.94	1.35	0.84	0.61	3.05	3.26	2.63
27	पुदुचेरी	0.15	0.18	0.17	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.09	0.06
28	पंजाब	29.25	34.90	29.45	7.25	8.46	7.17	0.90	0.49	0.41	1.70	0.71	0.58
29	राजस्थान	21.50	27.91	25.17	7.40	9.70	8.47	0.30	0.18	0.14	0.95	0.85	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	9.96	11.38	10.05	2.73	3.49	2.76	2.53	1.85	1.65	6.45	9.19	7.38
32	तेलंगाना	18.39	21.63	18.83	3.55	4.70	3.71	2.27	0.86	0.74	15.16	16.24	12.90
33	त्रिपुरा	0.27	0.28	0.19	0.05	0.02	0.02	0.09	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	2.20	2.38	2.05	0.35	0.64	0.52	0.09	0.07	0.03	0.35	0.15	0.11
35	उत्तर प्रदेश	77.50	87.39	74.72	24.70	27.69	22.38	3.36	1.42	1.22	7.00	6.64	4.79
36	पश्चिम बंगाल	14.25	16.49	14.05	4.05	4.36	3.77	3.70	2.70	2.36	10.12	11.16	9.61
	अखिल भारत	359.19	415.82	357.26	114.20	130.93	105.31	34.17	19.55	16.32	120.69	138.15	107.31

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2088 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	1.84	1.81	1.31	13.28	17.87	14.02
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	0.66	0.69	0.44	0.30	0.39	0.23
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	2.28	1.75	1.39	4.50	6.09	4.39
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	0.66	0.97	0.60	1.07	1.90	1.30
8	दादरा और नगर	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.02
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	1.30	1.00	0.80	6.00	8.93	6.97
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	0.55	0.50	0.36	1.20	0.64	0.44
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	0.37	0.39	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	0.32	0.24	0.16	0.03	0.00	0.00
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	0.21	0.03	0.03	0.41	0.46	0.33
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	2.45	1.97	1.54	16.50	21.09	15.84
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	0.87	1.05	0.67	5.40	6.99	5.41
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	3.00	2.18	1.42	26.50	34.08	23.04
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.07
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	2.45	2.05	1.63	7.30	10.19	7.94
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	2.00	1.18	0.92	15.99	17.09	13.62
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	0.08	0.08	0.04	0.35	0.24	0.20
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	2.35	1.62	1.21	9.50	10.13	7.93
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	3.35	2.85	1.83	10.65	12.74	9.20
	अखिल भारत	356.08	437.47	357.81	110.18	127.42	109.73	27.62	22.74	16.45	126.31	156.51	116.80

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2088 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01
16	झारखंड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03
34	उत्तराखंड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24
	अखिल भारत	364.01	443.83	387.92	111.92	105.14	96.29	22.21	30.85	22.02	151.29	183.98	149.72

- सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
- सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2088 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.60	19.22	17.06	4.80	6.32	5.45	1.70	2.22	1.82	15.80	19.06	15.59
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.35	5.13	4.60	0.56	0.95	0.72	0.57	0.78	0.55	0.58	0.55	0.40
5	बिहार	23.82	28.12	25.33	6.10	8.04	6.57	2.00	2.23	1.80	6.00	8.01	5.89
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	10.00	12.41	9.81	4.10	4.29	3.25	1.10	1.33	0.82	2.40	4.34	2.57
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.26	0.25	0.21	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03
12	गुजरात	25.02	25.95	23.99	6.30	5.82	5.32	1.09	1.16	0.95	7.45	10.18	8.28
13	हरियाणा	21.67	26.08	23.20	5.53	6.10	5.46	0.58	0.67	0.44	1.57	1.10	0.82
14	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.94	0.79	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.41	0.37	0.28
15	जम्मू और कश्मीर	1.46	2.24	1.60	0.46	0.61	0.43	0.21	0.35	0.21	0.03	0.06	0.02
16	झारखंड	2.90	3.73	3.22	0.80	1.13	0.93	0.07	0.07	0.05	0.65	1.02	0.76
17	कर्नाटक	18.77	21.55	18.85	5.98	7.79	6.09	2.27	3.25	2.46	17.10	27.20	21.35
18	केरल	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22	0.90	1.07	0.87	1.30	1.60	1.25
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	40.42	47.16	42.43	15.00	13.09	11.47	1.50	1.51	1.08	16.50	14.70	11.16
21	महाराष्ट्र	26.77	32.37	27.27	7.20	8.06	5.81	2.70	3.37	2.55	30.00	41.95	29.63
22	मणिपुर	0.20	0.24	0.19	0.03	0.05	0.04	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
23	मेघालय	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.20	8.94	7.26	2.75	3.42	2.78	0.85	1.11	0.74	3.30	4.39	3.57
27	पुदुचेरी	0.15	0.15	0.14	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.09	0.11	0.08
28	पंजाब	29.92	35.36	31.39	7.35	8.13	6.66	1.10	1.02	0.61	2.00	1.67	1.29
29	राजस्थान	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80	0.20	0.23	0.18	3.00	3.24	2.56
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.87	12.80	11.43	2.95	3.46	2.89	2.60	2.35	2.02	9.25	11.08	8.73
32	तेलंगाना	20.20	21.80	20.94	3.85	4.92	4.38	1.20	1.38	1.04	17.00	18.44	14.74
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.05	0.03
34	उत्तराखंड	2.01	2.49	2.21	0.30	0.67	0.48	0.07	0.09	0.04	0.35	0.21	0.17
35	उत्तर प्रदेश	79.92	91.75	80.37	24.00	25.30	20.25	2.75	2.89	1.91	12.50	14.80	10.01
36	पश्चिम बंगाल	14.30	18.43	14.76	3.59	4.47	3.65	3.20	3.35	2.34	11.10	14.80	11.14
	अखिल भारत	381.45	450.79	396.60	110.42	121.72	100.80	26.82	30.58	22.56	158.49	198.97	150.37

